[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 04/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. .....(अ).– केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 148/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, जो सा.का.नि. सं0 577(अ) तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की, सारणी में क्रम सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)
''2क.	इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी द्वारा दान के रूप में प्राप्त ऊन, ऊनी वस्त्र और ऊनी परिधान	-"।

[फा.सं.334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 148/1994-सीमाशुल्क तारीख सा.का.नि. सं.577(अ) तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 43/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो अधिसूचना सा.का.नि सं0 778(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।